

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 6396 / 2016

फर्जाना व अन्य

बनाम

मैसर्स महेशजी उमेशजी व अन्य

आदेश दिनांक :

11.12.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री रोहित खण्डेलवाल, अधिवक्ता वास्ते,
श्री प्रवीण कुमार जैन, अधिवक्ता— अपीलार्थी की ओर से।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि उन्होंने आक्षेप की पूर्ति हेतु आवेदन पेश कर दिया है जो आज सूचीबद्ध नहीं हो पाया है। अतः उक्त आवेदन को पत्रावली के साथ संलग्न कर सूचीबद्ध कराया जावे।

तदनुसार कार्यालय जांच कर यदि ऐसा कोई आवेदन पेश हुआ है तो उसे पत्रावली के साथ संलग्न कर सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति